भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4151

दिनांक 29 मार्च, 2022/08 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हिन्दी का उपयोग

4151. श्रीमती केशरी देवी पटेल:
श्री कनकमल कटारा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) न्यायालयो में और निर्णयों के लिखने में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और हिन्दी में दिए गए निर्णयों की संख्या क्या है;

(ग) क्या उक्त के संबंध में सरकार द्वारा जारी कई दिशानिर्देशों के बावजूद उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में उचित स्थान प्राप्त करने में हिन्दी असफल रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1)(क) के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4151

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

उच्च न्यायालयों द्वारा हिंदी में दिए गए निर्णयों की संख्या का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): कैबिनेट कमेटी के दिनांक 21.05.1965 के निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त की जाएगी।

1950 में संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत राजस्थान के उच्च न्यायालय में हिंदी में कार्यवाही के उपयोग को अधिकृत किया गया था। ऊपर उल्लिखित कैबिनेट कमेटी के निर्णय दिनांक 21.05.1965 के बाद हिंदी के उपयोग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में अधिकृत किया गया था।

*****